न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
008/2018 (GCMS 2018/00018)	**09.01.2018**	**29.01.2021**

अनवान

नाथुलाल पिता जयचंद जाति कीर आयु वयस्क निवासी लोठियान तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये उपतहसीलदार मंगलवाडा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोंडेंट

–:: अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय उपतहसीलदार मंगलवाड प्रकरण संख्या 093/2017 अतिक्रमण तारीख आदेश 11.10.2017 ::–

उपस्थिति :– श्री छोगालाल जाट — अधिवक्ता अपीलांट
श्री भैरूलाल सालवी — राजकीय अधिवक्ता

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय पर आदेश दिनांक 11.10.2017 न्याय नियम एवं वाक्य तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायालय में पटवार हल्का लोठियाना द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलांट ने मौजा लोठियाना की चरनोट आराजी संख्या 436 रकबा 1.08 हैक्टर पर संवत 2074 में नाजायज कब्जा कर मक्का, ज्वार की फसल बो रखी है, जिससे अतिक्रमण की कार्रवाई किए जाने का आदेश प्रदान कराया जाए। उक्त आशय का नोटिस दिनांक 11.10.2017 का जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलांट स्वयं हुआ व जवाब हेतु अवसर चाहा, फिर भी विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बगैर साइक्लोस्टाइल निर्णय जिसमें खानापूर्ति कर पारित कर बेदखली एवं पेनाल्टी का आदेश पारित कर दिया, जो आदेशिका के विपरीत होकर निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवार हल्का द्वारा जो दस्तावेज पेश किए गए, उसके संबंध में अपीलांट को कोई जिरह करने का अवसर नहीं देते हुए केवल मात्र एक तरफा बयान के आधार पर कब्जा होना मानते हुए बेदखली व जुर्माने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। विवादित [illegible] पर अपीलांट का पुराना कब्जा होकर पूर्वजों से चला आ रहा है, जो नियमन योग्य कब्जा था फिर भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:37 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किए बगैर अपीलांट का अतिक्रमण होना मानते हुए बेदखल किए जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की अपीलांट को किसी प्रकार से जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम अपीलांट दिनांक 11.10.2017 को नोटिस की पालना में उपस्थित हुए एवं जवाब हेतू अवसर चाहा फिर भी जवाब का अवसर दिए बगैर उसी दिन निर्णय व आदेश पारित कर दिया, जिसकी जानकारी 27.12.2017 को हुई जिस पर दिनांक 27.12.2017 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी नकल दिनांक 28.12.2017 को ही प्राप्त की जिसके बाद जानकारी अपील अपीलांट अंदर मियाद पेश है, फिर भी अपील में हुए विलंब को विस्तारित फरमाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून न्याय अधिनियम मय शपथ पत्र पेश है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि वह प्लांट स्वीकार पर भी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 17.10.2017 निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजीयात का नियमन आदेश अपीलांट के नाम जारी किए जाने का आदेश प्रदान कराया जाए।

इस पर अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोडेंट की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर उपतहसीलदार मंगलवाड के पत्रांक/राजस्व/2018/14 दिनांक 02.02.2018 से उनकी मूल पत्रावली संख्या 093/2017 अनवानी सरकार बनाम नाथुलाल पिता जयचन्द्र कीर निवासी लोठियाना अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। दिनांक 22.01.2021 को प्रकरण में पूर्व में प्रस्तुत पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा जवाब अपील को रिकार्ड पर लिया गया। अपने जवाब में पैरोकार सरकार ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों से इन्कार कर बताया की अपीलांट का कब्जा चरागाह भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखती है, एवं अपील अपीलांट विलम्ब से प्रस्तुत होने से मियाद के बिन्दु पर ही खारीज योग्य है।

दिनांक 27.01.2021 को अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र एवं गुणावगुण पर उभयपक्ष को सुना गया। अधिवक्ता अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि दिनांक 11.10.2017 से दिनांक 27.12.2017 तक की देरी निर्णय की जानकारी नहीं होने एवं तत्पश्चात् की देरी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने एवं विधिक सलाह प्राप्त करने से हुई है जिससे अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित है। अतः मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को कण्डोन किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। इस पर राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.10.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:37 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2017 पर अपीलांट के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है एवं अपीलांट्स आदेश दिनांक 11.10.2017 की जानकारी होने के बावजूद अपीलांट्स द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावें। इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस मियाद के रिवटल में निवेदन किया कि अपीलांट की पत्नि द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते उससे पूर्व ही उपस्थिति दर्ज कर निर्णय कर दिया जिसकी जानकारी भी अपीलांट को नहीं दी गई एवं ना ही किसी भी प्रकार का आदेश सुनाया गया। एवं अपीलांट की पत्नि निरक्षर महिला है ऐसी स्थिति में अपीलांट को निर्णय दिनांक 11.10.2017 की जानकारी प्राप्त नहीं हुई एवं इसी आशय का शपथ पत्र न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अतः अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को क्षम्य किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रकरण जायदाद से संबंधित से ऐसी स्थिति में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना ही उचित प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में दोनो अपीलों में अपील प्रस्तुती के हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाता है, एवं अपील अपीलांट अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

इसके पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवार हल्का द्वारा जो दस्तावेज पेश किए गए, उसके संबंध में अपीलांट को कोई जिरह करने का अवसर नहीं देते हुए केवल मात्र एक तरफा बयान के आधार पर कब्जा होना मानते हुए बेदखली व जुर्माने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। विवादित आराजीयात पर अपीलांट का पुराना कब्जा होकर पूर्वजों से चला आ रहा है, जो नियमन योग्य कब्जा था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किए बगैर अपीलांट का अतिक्रमण होना मानते हुए बेदखल किए जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट का कब्जा चरागाह भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखती है, जिससे अपीलांट की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार चरागाह की भूमि आवंटन/नियमन योग्य नही है। चरागाह की भूमि पशुओं की चराई के लिये आरक्षित होती है, जिस पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। चरागाह भूपर पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः उपतहसीलदार, मंगलवाड के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की। बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:37 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजीयात पर अपीलांट का पुराना कब्जा होकर पूर्वजों से चला आ रहा है, जो नियमन योग्य कब्जा था अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें। इसी ईश्तुदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस पत्रावली समाप्त की। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। भूमि चरागाह दर्ज होने से पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार भदेसर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। इसके साथ ही अपीलांट स्वयं चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया है। चारागाह भूमि गांव के मवेशी चराने की भूमि होती है, इस पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ ही पत्रावली पर अपीलांट द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे अपीलांट का विवादित आराजीयात पर किसी भी प्रकार को कोई हक–हकूक निहित है। अपीलांट्स द्वारा अतिक्रमण किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.10.2017 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.10.2017 विधि सम्मत होकर इसमे किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.10.2017 संपुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उप तहसीलदार, मंगलवाड के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण राजस्व अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मंगलवाड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2017 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **29.01.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:37 IST
Reason: SelfAttested